कर्ज लिया नहीं और समिति ने बना दिया कर्जदार

मामला आदिम जाति सहकारी समिति लालपुर का, अधिकारियों की कार्रवाई जांच में ही सिमटी

धारनाकला नवभारत। बरघाट विकास खंड के अन्तर्गत आने वाली आदिम जाति सहकारी समिति लालपुर जो की किसानो से जुडी समिति है मे नित नये नये कारनामे सामने आ रहे है पिछली जांच और कार्यवाई अभी अधिकारियो की मेहरबानी से ठंडे बस्ते मे बन्द है वही दूसरी तरफ एक नया मामला और ज्यादा सुर्खिया बटोर रहा है जहा किसान ने समिति से अपनी कृषि पर नगद ऋण एवं खाद तो लिया नही किन्तु समिति के रिकॉर्ड मे आज वह गरीब आदिवासी किसान कर्जदार बना हुआ है यह सच भी तब सामने आया जब आदिवासी किसान को बैक से 189000 एक लाख नवासी हजार का वसूली नोटिस प्राप्त हुआ

प्राप्त जानकारी के अनुसार आदिम जाति सहकारी समिति लालपुर के अन्तर्गत आने वाले ग्राम ताखला निवासी आदिवासी किसान सूरजलाल धुर्वे के उस समय होश उड गये जब बैक की वसूली टीम कर्ज का नोटिस लिये वसूली के लिये उसके घर पहूच ग ई तब जाकर आदिवासी किसान को पता चला की आदिम जाति सहकारी समिति के कर्णधारो ने फर्जी तरीके से किसान के कृषि रकबे पर कर्ज उठा लिया है आनन फानन मे किसान सूरजलाल धुर्वे ने अपनी पत्नि के साथ बैक जाकर शाखा प्रबंधक को सारी सच्चाई से अवगत तो कराया किन्तु समस्या का समाधान न होने पर गरीब परिस्थिति मे भी वसूली की कार्रवाई से बचने के लिये तीस हजार रूपये भी जमा कर दिये जबकि सूरजलाल के नाम पर यह कर्ज वर्ष 2020ट्ट21 मे उठाया गया है जिसकी जानकारी तक किसान को नही है उसे तो यह जानकारी उस समय लगी जब उसके घर बैक से वसूली टीम वसूली के लिये तलब हुई जबकि यह गरीब किसान अधिकतर समय कमाने खाने के उद्देश्य से नागपुर महाराष्ट्र मे ही रहता है किन्तु बिना कर्ज लिये ही समिति के जवाबदारो ने उसे कर्जदार बना दिया है

पिछली जांच और कार्यवाई सवालो के घेरे में

यहा यह भी उल्लेखनीय है की आदिम जाति सहकारी समिति की अनियमितताओ की जांच उपायुक्त पंजीयक कार्यालय के निर्देश पर जांच दल द्वारा की गई तथा बारदाना मे हेराफेरी की जांच करते हुऐ वसूली के निर्देश भी हुऐ किन्तु विभागीय जांच टीम की जुगलबंदी के चलते समिति की यह कार्रवाई बीते एक वर्ष से सिर्फ कागजो मे दौड रही है यही नही समिति मे व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितता की जांच विभाग से जुडे अनेको अधिकारियो ने करते हुऐ समय समय पर सभी ने मामले को दबाने के लिये सिर्फ अपनी जेब गरम करने का काम किया है किन्तु किसानो से जुडी इस सहकारी समिति के हित मे कभी भी कोई ठोस कार्रवाई करते नजर नही आया और यही कारण है की किसानो से जुडी यह समिति गर्त मे डूबते चली गई और आज यह स्थिति है की इस समिति से किसान भी अब लेनदेन करने से लेकर खाद बीज के लिये तक परेशान होते आ रहे है किन्तु विभागीय से जुडे ही कुछ अधिकारी अपने स्वार्थ की रोटी सेकते नजर आ रहे है और वर्तमान मे समिति की कमान नये समिति प्रबंधक के साथ साथ दो आपरेटर के हाथो मे है जिसका यह परिणाम है की कब समिति खुलती है और बंद हो जाती है यह तक किसानो को पता नही होता।

प्रशासक की भूमिका और उठते सवाल

यहा यह बताना भी लाजिमी है की आदिम जाति सहकारी समिति के साथ साथ प्रशासक डी के डहेरिया के हाथो मे बरघाट विकास खंड की अनेको समितियो की कमान है किन्तु समिति के संचालन तथा किसानो के हित तथा समिति के हित मे इनके द्वारा आज तक कोई कारगर पहल सामने नही आई है इनके द्वारा भी समिति प्रबंधक को तथा समिति के विक्रेता को धारनाकला ब्रांच मे बुलाकर रोड मे खडे होकर फाईलो मे हस्ताक्षर किये जाते है तथा यह भी सिर्फ प्रशासक की भूमिका अपने स्वार्थ के लिये करते नजर आ रहे है और समिति की जांच मे भी इनकी अहम भूमिका सामने आई है जांच के नाम पर ठोस कार्रवाई की धमकी ये महोदय जी दो वर्षो से देते आ रहे है और सूत्रो से प्राप्त जानकारी के अनुसार इन पर विभाग की भी खासी मेहरबानी है यही कारण है की अनेको समिति के संचालन की जिम्मेदारी इन्हे सौप दी गई क्या संवेदन शील जिला कलेक्टर का ध्यान इस ओर जायेगा

कलेक्टर के निर्देश पर भी अमल नहीं

उल्लेखनीय है की जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार उपायुक्त पंजीयक कार्यालय सिवनी को विधिवत कार्यवाई करते हुऐ लगभग सात से सत्तर लाख के बारदाना की वसूली कर राशि मध्य प्रदेश सिविल सप्लाईज कार्पो लिमिटेड सिवनी मे जमा करवाना था किन्तु जिला कलेक्टर से जारी निर्देश पर भी अगर सम्बन्धित विभाग कार्रवाई करने मे हीला हवाली कर दो वर्ष बिता सकता है तो अन्दाजा लगाया जा सकता है की आम नागरिक अथवा किसानो की आवाज पर क्या कार्यवाई होती होगी सिर्फ अनेको अधिकारियो के द्वारा जांच कर औपचारिकता निभाने का काम लम्बे अर्से से चले आ रहा है और यही कारण है की किसानो की यह समिति सिर्फ अनियमिताओ के लिये चर्चित हो चुकी है जिस ओर विभाग के आला अधिकारियो का ध्यान न दिया जाना समझ से परे है ।

सर्वर समस्या से अंतिम दिन अटका पंजीयन, तिथि बढ़ाने की मांग

सिवनी नवभारत। समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए किसानों के पंजीयन की अंतिम तिथि 10 मार्च निर्धारित थी, लेकिन अंतिम दिन जिले के लखनादौन सहित कई पंजीयन केंद्रों में सर्वर की समस्या के कारण बड़ी संख्या में किसान पंजीयन से वंचित रह गए। मंगलवार को सुबह से ही पंजीयन केंद्रों में किसानों की लंबी कतारें लगी रहीं। किसान तेज धूप में घंटों खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते रहे, लेकिन तकनीकी दिक्कतों के कारण बहुत कम किसानों का ही पंजीयन हो सका।

किसानों का कहना है कि वे होली पर्व से पहले से ही पंजीयन कराने के लिए पंजीयन केंद्रों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन पोर्टल पर बार-बार सर्वर डाउन होने के कारण प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है। कई किसानों ने बताया कि पोर्टल पर गिरदावरी की जानकारी भी प्रदर्शित नहीं हो रही है, जिसके कारण पंजीयन कराने में अतिरिक्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लखनादौन क्षेत्र के पंजीयन केंद्रों में मंगलवार को शाम तक किसानों की भारी भीड़ बनी रही। किसान पूरे दिन अपनी बारी का इंतजार करते रहे, लेकिन शाम करीब 7 बजे पोर्टल बंद हो जाने से कई किसानों का पंजीयन अधूरा रह गया। इससे किसानों में नाराजगी भी देखने को मिली। किसानों का कहना है कि यदि पंजीयन नहीं हुआ तो वे इस वर्ष समर्थन मूल्य पर अपना गेहूं नहीं बेच पाएंगे, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा।

किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि सर्वर समस्या को देखते हुए पंजीयन की अंतिम तिथि बढ़ाई जाए, ताकि जिन किसानों का पंजीयन तकनीकी कारणों से नहीं हो सका है, उन्हें भी समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने का अवसर मिल सके।

इस संबंध में जिला आपूर्ति अधिकारी मनोज पुराविया का कहना है कि सर्वर की समस्या चार दिन पहले तक थी, लेकिन मंगलवार को सर्वर की कोई समस्या नहीं थी। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष जिले में लगभग 43 हजार किसानों का पंजीयन हुआ था, जबकि इस बार अब तक 53 हजार से अधिक किसान पंजीयन करा चुके हैं। प्रशासन का कहना है कि अधिकांश किसानों का पंजीयन समय पर हो चुका है।

सिवनी में पढ़े श्रेयांस बड़ोदिया ने ढाई करोड़ का पैकेज छोड़ा, यूपीएससी में पाई 194 वीं रैंक

सिवनी नवभारत। यूपीएससी के जारी रिजल्ट में सिवनी से स्कूली पढ़ाई करने वाले श्रेयांस बड़ोदिया ने पहले ही प्रयास में बड़ी कामयाबी हासिल की है. महज़ एक साल की पढ़ाई में उन्होंने 194 वीं रैंक हासिल की. सिवनी के केंद्रीय विद्यालय में आठवीं तक पढ़े श्रेयांश ने मुंबई आईआईटी से बीटेक किया और ढाई करोड़ के पैकेज पर गुरुग्राम में सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहे थे लेकिन मन सिविल सर्विसेज में जाने का था इसीलिए सितंबर 2024 में नौकरी छोड़कर यूपीएससी की तैयारी करने लगे और ऑनलाइन कोचिंग, सेल्फ स्टडी से पहले ही प्रयास में कामयाबी हासिल कर की. रेयांस ने बताया कि उन्होंने एक साल तक सोशल मीडिया से दूरी बनाई और सेल्फ स्टडी की, इस दौरान प्रैक्टिक्स के साथ ही मॉक टेस्ट पर ज्यादा फोकस किया. श्रेयांस के पिता जीडी बड़ोदिया साल 2004 से 2012 तक पीआईयू सिवनी में लेखा अधिकारी के पद पर कार्यरत रहे हैं. रिटायरमेंट के बाद परिवार नर्मदापुरम में बस गया.

12 अप्रैल को उज्जैन में कार्यकर्ता दक्षता समारोह में जिले सहित प्रदेशभर से कार्यकर्ता होंगे शामिल

एआईएसओ संगठन की प्रतिमाह निर्धारित बैठक आयोजित

सिवनी नवभारत। पीएसीएल पर्ल्स निवेशकों के भुगतान हेतू विगत 11 वर्षों से निरंतर संघर्षरत राष्ट्रीय स्तर पर रजिस्टर्ड संगठन एआईएसओ का नेशनल स्तर पर दो दो दिवसीय दक्षता कार्यक्रम उज्जैन मध्यप्रदेश में अप्रेल माह में होगा अयोजित जिसमें देशभर से संगठन के कार्यकर्ता होंगे शामिल।

वही सिवनी जिले के लखनादौन ब्लॉक कमेटी द्वारा प्रतिमाह निर्धारित 10 तारीख को होने वाली बैठक श्री सिद्धबाबा मंदिर कॉलेज के पास लखनादौन में संपन्न हुई । जिसमें उपास्थित संगठन के कार्यकर्ताओं ने उपरोक्त आयोजित कार्यक्रम में सहभागी होने की बात कही साथ ही संगठन द्वारा निरंतर किए जा रहे प्रायस के बाद पीएसीएल निवेशकों के भुगतान में आ रही गति से प्राभावित होकर संगठन के नेतृत्व को सराहा एवं संगठन के साथ हर स्तिथि परिस्थिति में साथ रहने व तन मन धन से सहयोग करने की बात कही गई।

यह है पीएसीएल का मामला

विदित हो कि पीएसीएल पर्ल्स कंपनी में देशभर के 5.85 करोड़ निवेशकों का 49,100 करोड़ रूपए फसा है जिसे सेबी द्वारा 22 अगस्त 2014 को प्रतिबंधित कर चल अचल संपत्ति कुर्क कर ली गई थी जिसका मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है ।

जहां एआईएसओ संगठन द्वारा भी 2015 में सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से निवेशकों के तरफ से अपना पक्ष रखा और परिणाम स्वरूप 2 फ़रवरी 2016 को निवेशकों के हित में आदेश पारित हुआ।

सेबी द्वारा चल रही भुगतान की प्रक्रिया

उपरोक्त आदेश उपरांत सेबी द्वारा पीएसीएल निवेशकों को भुगतान जिस तरह से किया जा रहा है उससे निवेशक न खुश हैं आदेश होने के 10 वर्ष से अधिक का समय बीत जाने के वावजूद भी अबतक 10त्न निवेशकों को भी भुगतान नहीं लौटाया गया ।जिससे निवेशकों में रोष व्याप्त हैं। हालाकि 31 मार्च 2025 में सेबी द्वारा जारी सूचना अनुसार 22,16,132 निवेशकों का 1163 करोड़ रूपए लौटाया गया है जबकि 26 फरवरी 2026 से पुन: निवेशकों को उनके बैंक खाते पर जमा धन अंतरित किया जा रहा है अब तक कितना और रिफंड हुआ इस बात की सेबी द्वारा अभी सार्वजनिक रूप से पुष्टि नहीं की गई।

टैगोर वार्ड में हो गया अवैध मकान निर्माण, नहीं हुई कार्यवाही

सिवनी नवभारत। नगर पालिका परिषद सिवनी द्वारा बिना अनुमति किए जा रहे भवन निर्माण को लेकर जारी किया गया अंतिम नोटिस भी प्रभावी नहीं हो सका है। टेगौर वार्ड में काली मंदिर के पीछे हो रहे कथित अवैध निर्माण पर नगर पालिका द्वारा कार्रवाई के बजाय केवल नोटिस जारी किए जाने तक ही मामला सीमित नजर आ रहा है। 20 फरवरी को अंतिम नोटिस जारी किए जाने के बावजूद 9 मार्च तक निर्माण कार्य नहीं रुका और मौके पर भवन का लेंटर तक डाला जा चुका है। नगर पालिका द्वारा जारी नोटिस में उल्लेख किया गया था कि टेगौर वार्ड निवासी कन्हैया साहू और नीरज साहू द्वारा बिना अनुमति भवन निर्माण कराया जा रहा है, जो कि नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 187 के अंतर्गत अवैधानिक है। निकाय के समयपाल द्वारा किए गए मौके के निरीक्षण में भी बिना अनुमति निर्माण कार्य किया जाना पाया गया था। इसके बाद नगर पालिका ने निर्माण कार्य तत्काल बंद करने और भवन निर्माण अनुमति से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। नगर पालिका ने 20 फरवरी को अंतिम नोटिस जारी करते हुए स्पष्ट चेतावनी दी थी कि यदि बिना अनुमति हो रहा निर्माण कार्य बंद नहीं किया गया और संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए तो नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 187 के तहत कार्रवाई करते हुए निर्माण हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। साथ ही इस कार्रवाई में आने वाला समस्त खर्च संबंधित पक्ष से वसूला जाने की भी बात कही गई थी। इसके बावजूद लगभग तीन सप्ताह बीत जाने के बाद भी निर्माण कार्य बंद नहीं हुआ। शिकायतकर्ता के अनुसार निर्माण कार्य लगातार जारी रहा और अब भवन का लेंटर तक डाला जा चुका है।

शिकायतकर्ता ने लगाए आरोप

मामले की शिकायतकर्ता ऋतु श्रीवास्तव ने बताया कि उनकी स्वामित्व की लगभग 4म36 फुट भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर

भवन निर्माण किया जा रहा है। उनका कहना है कि निर्माण कार्य शुरू होने से पहले ही उन्होंने जनसुनवाई में शिकायत दर्ज कराई थी। ऋतु श्रीवास्तव ने बताया कि इस संबंध में उन्होंने अन्य स्थानों पर भी प्रमाण सहित शिकायत प्रस्तुत की है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उनका आरोप है कि आरोपी नीरज साहू के धनबल के कारण संबंधित विभागों के अधिकारी कार्रवाई करने से बच रहे हैं।

बरघाट में उत्साह के साथ मनाया गया 11वां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, वक्ताओं ने किया प्रेरित

सिवनी नवभारत । बरघाट नगर के मंगल भवन, नया बस स्टैंड बरघाट में रविवार 8 मार्च को 11वां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर्षोल्लास और गरिमामय वातावरण में मनाया गया। कार्यक्रम में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय महिलाओं की गरिमामय उपस्थित रहीं।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथियों में इमरता साहू (नगर पालिका अध्यक्ष), डॉ. सायमा सर देशमुख (खेलकूद अधिकारी शासकीय महाविद्यालय बरघाट), सोनी सारस्वत (असिस्टेंट प्रोफेसर सिवनी), प्रियंका भालेकर (असिस्टेंट प्रोफेसर छपारा) शशि सरयाम (प्राचार्य सिल्लौर) गोमती ठाकुर (सांसद प्रतिनिधि) भारती रजक (सांसद प्रतिनिधि) ममता पाठक (पार्षद) साक्षी बिसेन (पार्षद) तथा अर्चना जामुनपानी (LIC विकास अधिकारी) की गरिमामय उपस्थिति रही। सभी अतिथियों ने अपने प्रेरणादायक उद्बोधनों में महिलाओं को आत्मविश्वास और शिक्षा के साथ समाज में अपनी पहचान स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर उन माताओं- सावित्री रामकृष्ण उइके जी, श्यामलता/ रविंद्र सारस्वत जी सुनीता/ अरविंद भालेकर जी को प्रतिभा सम्मान से सम्मानित किया गया, जिन्होंने पारिवारिक, आर्थिक एवं सामाजिक चुनौतियों का सामना करते हुए अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाकर शासकीय सेवाओं में उच्च पदों तक पहुंचाया ।यह सम्मान समारोह उपस्थित जनसमूह के लिए अत्यंत भावुक और प्रेरणादायक क्षण बना। कार्यक्रम के सांस्कृतिक आयोजन भी अत्यंत आकर्षक और सराहनीय रहे। अपर्णा मेश्राम और प्रगति जायसवाल के मधुर गीतों ने वातावरण को सुरमयी बना दिया, वहीं आयोजन समिति द्वारा प्रस्तुत महिला सशक्तिकरण पर आधारित अभिनय ने नारी शक्ति के संघर्ष और सामर्थ्य को प्रभावी रूप से प्रस्तुत किया। इसके साथ ही रश्मि श्रीवास, भूमेश्वरी अजीत, प्रिया मासुरकर गायत्री काकोड़िया, अर्चना शेंडे और रश्मि भैंसारे के मनमोहक नृत्य ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मढ़िया वार्ड समिति द्वारा प्रस्तुत नाटक में सामाजिक संदेश का समावेश रहा। कार्यक्रम का सफल मंच संचालन सुनीता बागेश्वर एवं सुषमा लांजेवार द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में रमला बागेश्वर, रुचिका वासनिक, अपर्णा मेश्राम , निभा गेड़ाम, सुनीता डोंगरे, आनंदा मेश्राम, रेणू रावत, प्रमिला भालेकर, लक्ष्मी गेड़ाम, कृष्णा उके, स्वर्णलता भालेकर, रेखा भालेकर सहित सभी सहयोगियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

फोन पर गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी का आरोप

घंसौर नवभारत। नगर में होली मिलन समारोह को लेकर विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। सशक्त निष्पक्ष युवा संगठन मध्य प्रदेश के पदाधिकारियों ने घंसौर थाने में शिकायत देकर कुछ लोगों पर फोन पर गाली-गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। शिकायत में बताया गया है कि नगर के हृदय स्थल गौ माता चौंक में होली मिलन समारोह के नाम पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें मंच पर बार बालाओं द्वारा अश्लील नृत्य कराया गया। संगठन का कहना है कि यह आयोजन नगर के बीचों-बीच होने के कारण कई नागरिकों और परिवारों को असहज लगा तथा सामाजिक मर्यादाओं पर भी सवाल खड़े हुए।

शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि कार्यक्रम स्थल के पास ही मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर की प्रतिमा स्थापित है जो आदर्श और सम्मान का प्रतीक मानी जाती है। ऐसे स्थान के पास इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन कई नागरिकों को अनुचित लगा। संगठन का आरोप है कि जब इस विषय पर उन्होंने सामाजिक जिम्मेदारी के तहत आवाज उठाई तो उन्हें फोन कॉल के माध्यम से गंभीर धमकियां दी गईं। शिकायत में भारत यादव (जिला अध्यक्ष, यादव महासभा ग्रामीण) के द्वारा फोन करके गाली-गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है। इसके अलावा भाजपा मंडल अध्यक्ष श्रीमती दीपमाला यादव के पति सुभाष यादव ने फोन कर अपशब्द कहने और धमकाने का आरोप लगाया गया है। संगठन का कहना है कि इस प्रकार की धमकियों से उनके परिवार और संगठन के युवाओं में भय का माहौल बन गया है तथा उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता पैदा हो गई है।

शिकायत में पुलिस से मांग की गई है कि फोन कॉल के माध्यम से दी गई धमकियों की जांच कर संबंधित लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 294 (गाली-गलौज) और 506 (आपराधिक धमकी) सहित अन्य धाराओं में उचित कानूनी कार्यवाही की जाए। साथ ही भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए आवश्यक कदम उठाने तथा संगठन के पदाधिकारियों को सुरक्षा प्रदान करने की भी मांग की गई है। यह शिकायत 07 मार्च 2026 को घंसौर थाने में दी गई है। हालांकि शिकायत पर क्या कार्यवाही हुई पुलिस द्वारा स्पष्ट रूप से कुछ नहीं बताया गया है।

मनमानी नगर परिषद अध्यक्ष मीना गोल्हानी अब भी बनी हुई है पद पर, आरोपियों को पद से पृथक करने की मांग

नगर परिषद लखनादौन में भ्रष्टाचार को लेकर जिला कांग्रेस ने दिया धरना

सिवनी नवभारत। लखनादौन नगर परिषद में शॉपिंग काम्पलेक्स दुकानों के आवंटन में 83 लाख रूपय की वित्तीय अनियमितता के संबंध में आर्थिक अपराध शाखा प्रकोष्ठ (ईओडब्लू) जबलपुर ने विस्तृत जांच के बाद नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती मीना बलराम गोल्हानी सहित कुल 23 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। मीना गोल्हानी पर आर्थिक अपराध शाखा ने भारतीय दंण्ड संहिता की धारा 409, 120 बी तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) की धारा 7 सी, 13(1)(ए), 13(2) के तहत आपराधिक मामला दर्ज किये जाने के पश्चात प्रदेश की मोहन यादव भाजपा सरकार के संरक्षण में इन आरोपियों को अभी तक बर्खास्त नही किया गया। नगर कांग्रेस कमेटी सिवनी एवं जिला युवा कांग्रेस सिवनी द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर तत्काल पद से हटाने की मांग की गई जो कि निम्नानुसार है।

नगर कांग्रेस कमेटी सिवनी एवं जिला युवा कांग्रेस सिवनी जिला प्रशासन एवं जिले के भाजपा नेताओं के साथ ही प्रदेश की मोहन यादव सरकार से सवाल उठाती है कि गंभीर भ्रष्टाचार के मामले में एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी आरोपित व्यक्ति खुलेआम घूम रहें है और वे अपने पदो पर बने हुये है, आखिर गिरफ्तारी कब होगी और उन्हे पदो से कब हटाया जायेगा। जबकि पूर्व में सिवनी नगरपालिका परिषद में कांग्रेस के अध्यक्ष श्री शफीक खान के उपर कथित झूठे और भर्जी मामलों में सिर्फ जांच के आधार पर उन्हें जिले के भाजपा नेताओं के दबाव में आकर प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने द्वारा बिना जांच और एफआईआर के ही तत्काल पद से हटा दिया गया था। उस समय सरकार और भाजपा सांसद, विधायक, मंत्रियों ने जिस तत्परता के साथ प्रशासन पर दबाव बनवाकर शफीक खान पर कार्यवाही की गई थी। क्या अब इसी तत्परता से लखनादौन नगर परिषद की भाजपा अध्यक्ष और पार्षदो और अधिकारियों पर आर्थिक भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के जांच में दोषि पाये जाने पर एफआईआर दर्ज होने के बाद भी उनका बचाव कर अपने चाल चरित्र और चेहरा अनुसार कार्य कर भ्रष्टाचार में लिप्त भाजपा के इन निर्वाचित जनप्रतिनियों को बचाया जा रहा है और जिला भाजपा के नेता ओं द्वारा इस भ्रष्टाचार पर मौन है जिससे यह साबित हो गया है कि इस भ्रष्टाचार में जिले के भाजपा नेता एवं निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की हिस्सेदारी होना निश्चित है।

जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश मरावी, प्रदेश कांग्रेस महामंत्री राजा बघेल, शिव सनोडिया, विष्णु करोसिया, मुकेश चीकू सक्सेना, राजिक अकोल, प्रकाश सूर्यवंशी, नितिन डेहरिया, सोहेल अमन खान,, शिवदीप डेहरिया, श्रीमती पवनरेखा रिनायत ने अपने सम्बोधन में प्रदेश की मोहन यादव सरकार और जिले के भाजपा सांसद, विधायक को आड़े हाथ लेते हुये उनके चाल चरित्र और चेहरे को जनता के सामने बे नकाब किया। धरना प्रदर्शन में पधारे समस्त कांग्रेस जनों का नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तनवीर अहमद द्वारा आभार व्यक्त किया गया।

दोषियों को तत्काल पद से हटाया जाए

लखनादौन नगर परिषद में 83 लाख रूपय की आर्थिक अनियमितता पर एफआईआर दर्ज होने के बाद नगर परिषद अध्यक्ष मीना गोल्हानी पर मप्र नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 41-ए के तहत जिला कलेक्टर को, नगर परिषद अध्यक्ष को पद से प्रथक करने का पूर्ण अधिकार है। ऐसे भ्रष्ट जनप्रतिनिधि को पद में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। अत: भ्रष्टाचार की आरोपी नगर परिषद लखनादौन अध्यक्ष श्रीमती मीना बलराम गोल्हानी सहित उनके पार्षद एवं अधिकारियों को नगर पालिका अधिनियम में वर्णित भ्रष्ट आचारण के अन्तर्गत कार्यवाही कर तत्काल पद से प्रथक किये जाने की मांग की गई।

कार्यालय ग्राम पंचायत दरासीकला जनपद पंचायत कुरई, जिला सिवनी (म.प्र.)

क्रमांक : 19/स्थापना/2025-26 **निविदा / नीलामी सूचना** दिनांक : 07/03/2026

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत दरासीकला के अधीन निम्नलिखित फीस वसूली ठेका वर्ष 2026-27 (01 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक) के लिए पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 80 के अंतर्गत खुली नीलामी द्वारा दिया जाएगा। यह नीलामी दिनांक 16 मार्च 2026 (सोमवार) को दोपहर 1:00 बजे ग्राम पंचायत भवन दरासीकला में संपन्न की जाएगी।

ठेका विवरण

क्र.	ठेका का नाम	बाजार का दिन	वसूली क्षेत्र	वसूली का आधार
1.	साप्ताहिक बैठकी बाजार	बुधवार	ग्राम पंचायत सीमा	निर्धारित निर्खनामा के अनुसार
2.	साप्ताहिक मवेशी बाजार	बुधवार	ग्राम पंचायत सीमा	निर्धारित निर्खनामा के अनुसार

उक्त नीलामी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कुरई अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी की उपस्थिति में संपन्न की जाएगी।

नियम एवं शर्तें :- नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्तियों को साप्ताहिक बैठकी बाजार एवं साप्ताहिक मवेशी बाजार हेतु 10,000/- (निक्षेप राशि) जमा करना अनिवार्य होगा। असफल बोलीदार की निक्षेप राशि नीलामी समाप्ति के पश्चात वापस कर दी जाएगी। सफल बोलीदार को नीलामी स्वीकृति के पश्चात 2 घंटे के भीतर ठेके की कुल राशि का 40% तुरंत जमा करना होगा। शेष राशि तीन समान किश्तों में निम्नानुसार जमा करनी होगी- 30 जून 2026, 30 सितंबर 2026, 31 दिसंबर 2026, निर्धारित शर्तों का पालन न करने पर जमा राशि ग्राम पंचायत के पक्ष में जप्त कर ठेका निरस्त कर पुन: नीलामी की जा सकेगी। ऑफसेट वैल्यू के अनुरूप उच्चतम बोली ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत की जाएगी। यदि नीलामी में ऑफसेट वैल्यू प्राप्त नहीं होती है, तो उच्चतम बोलीदार की निक्षेप राशि अगली नीलामी तक जमा रखी जा सकती है। नीलामी ठेका स्वीकृति के पश्चात स्टाम्प शुल्क की कार्यवाही पूर्ण होने पर ही अधिकार पत्र प्रदान किए जाएंगे। पुराने बकायादारों अथवा उनके प्रतिनिधियों को नीलामी में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। नीलामी से संबंधित विस्तृत नियम एवं शर्तें ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर देखी जा सकती हैं।

सरपंच/सचिव
ग्राम पंचायत दरासीकला
जनपद पंचायत कुरई, जिला सिवनी (म.प्र.)